(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं० 12/2015–2020
दिनांकः 20 जून, 2018

विषयः– वर्ष 2018–19 के दौरान मालदीव गणराज्य को अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति।

सा० आ० (अ०): विदेश व्यापार नीति, (एफटीपी) 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (वर्ष 1992 की सं० 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को निर्यात करने हेतु आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल और अंडों की निम्नलिखित मात्रा की अनुमति प्रदान करती हैः

क्र० सं०	मद	मात्रा
1.	आलू	5308.70 मीट्रिक टन
2.	प्याज	9892.03 मीट्रिक टन
3.	चावल	24581.07 मीट्रिक टन
4.	गेहूं का आटा	946.21 मीट्रिक टन
5.	चीनी	338.47 मीट्रिक टन
6.	दाल	31.59 मीट्रिक टन
7.	अंडे	11,18,09,090

2. वर्ष 2018–19 की अवधि के दौरान मालदीव गणराज्य को उपर्युक्त मदों के निर्यात को वर्तमान या भावी प्रतिबंध/निषेध से छूट प्राप्त होगी।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः** वर्ष 2018–19 के दौरान भारत सरकार और मालदीव सरकार के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता के तहत मालदीव गणराज्य को आलू, प्याज, चावल, गेहूं का आटा, चीनी, दाल और अंडों के निर्यात की अनुमति उपर्युक्त पैरा 1 में दी गई तालिका में इंगित मात्रा के अनुसार अप्रैल, 2018 से प्रदान की गई है। मालदीव गण्राज्य को उपर्युक्त मदों के निर्यात को निर्यात संबंधी वर्तमान या भावी प्रतिबंध/निषेध से छूट प्राप्त होगी।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा० सं० 01/91/171/59/एएम–09/निर्यात प्रकोष्ठ से जारी)